



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 माघ 1941 (श0)

(सं० पटना 52) पटना, मंगलवार, 21 जनवरी 2020

सं० 08/आरोप-01-45/2016,सा0प्र0-32
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

3 जनवरी 2020

श्री संजय कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-995/2011 तत्कालीन भूमि सुधार उपसमहर्ता, शेरधाटी, गया के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक-1224 दिनांक 18.02.2017 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गयी। प्राप्त आरोप पत्र में श्री कुमार के विरुद्ध मुख्य रूप से अपने पदस्थापन काल में दशहरा एवं मुहर्रम के अवसर पर बिना अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के कृत्य में उनकी स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता तथा वरीय पदाधिकारी के आदेशों की अवहेलना संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया, जैसा कि अनुलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।

2. जिला पदाधिकारी, गया से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय पत्रांक 4804 दिनांक 24.04.2017 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार ने अपना स्पष्टीकरण (पत्रांक 1715 दिनांक 31.10.2018) समर्पित किया। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 1226 दिनांक 23.01.2019 द्वारा जिला पदाधिकारी, गया से मंतव्य की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक 7172 दिनांक 26.09.2019 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ। जिसमें श्री कुमार के स्पष्टीकरण को स्वीकारयोग्य नहीं बताया गया।

3. तत्पश्चात श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, गया से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जांच की आवश्यकता पायी गयी।

4. अतएव सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि श्री संजय कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-995/2011 तत्कालीन भूमि सुधार उपसमहर्ता, शेरधाटी, गया सम्प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, सीवान सदर के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जांच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत करायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, गया द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी होंगे।

5. श्री कुमार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 52-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>